न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
105 / अपील / 17	14.09.2017	20.11.2019

1. श्रीमती मांगीबाई बेवा भंवरलाल जाति मेघवाल,
   निवासी ग्राम संवर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. हेमराज आ. भंवरलाल जाति मेघवाल;
   निवासी ग्राम संवर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
3. राजू उर्फ राजेश आ. भंवरलाल जाति मेघवाल,
   निवासी ग्राम संवर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. बसन्ती बेवा गोपाल जाति मेघवाल,
   निवासी ग्राम संवर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
5. कुमारी भरत पुत्री गोपाल जाति मेघवाल,
   निवासी ग्राम संवर, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार तालेडा
2. श्रीमती कालीबाई पुत्री लोढक्या पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल,
   निवासी मात्रा रोड, के.पाटन, तहसील के.पाटन जिला बून्दी
3. श्रीमती भूलीबाई पुत्री लोढक्या पत्नी देवीलाल जाति मेघवाल,
   निवासी नयाखेडा स्कूल के पास, कोटा (राज0)
4. श्रीमती रामनिवासीबाई पुत्री लोढक्या पत्नी रामदेव जाति मेघवाल,
   निवासी नान्ता रोड, कोटा (राज0)
5. सुरेश आ0 घासीलाल जाति मेघवाल, ग्राम संवर, तह. तालेडा
6. कालूलाल आ0 घासीलाल जाति मेघवाल, ग्राम संवर, तह. तालेडा
7. सीमा पुत्री घासीलाल पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल,
   निवासी ग्राम माधोराजपुरा, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी

— रेस्पोडेन्टस

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री शौकत अली, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 3 की ओर से श्री श्यामदत्त दाधीच, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 2, 4 लगायत 7 की ओर से श्री प्रमोद कुमार सेन एड0
रेस्पो.सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 20.06.2007 ग्राम संवर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व0 लोढक्या जाति मेघवाल निवासी संवर के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। दिनांक 31.07.2018 को अपीलांटस एवं रेस्पो.सं. 2, 4, 5, 6, 7 स्वयं उपस्थित न्यायालय मय अभिभाषकगण आकर **राजीनामा** पेश किया गया, जिसमें अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने में आपसी सहमति प्रकट की गई।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि श्री लोढक्या जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा श्रीमती गंगाबाई पत्नी लोढक्या का भी स्वर्गवास हो चुका है, उनके कोई सुलभी लड़का नहीं है। उनके पांच पुत्रियां मांगीबाई, कालीबाई, रामनिवासी, भूलीबाई, प्रेमबाई है जिनमें से प्रेमबाई का स्वर्गवास हो चुका है, रेस्पो.सं. 5, 6, 7 उसके उत्तराधिकारी है। खातेदार गंगाबाई पत्नी लोढक्या के स्वर्गवास के बाद उनके खाते की आराजी पर उसकी पांचों पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 20.06.2007 में एक तरफा रूप से बिना कोई जांच किए ही हिस्सा 1/5 पर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया, जबकि गंगाबाई ने उनकी सेवाओं व बच्चों की जिम्मेदारियों, उनके सुख दुख में काम आने वाली एक पुत्री मांगीबाई व दामाद भंवरलाल, दोहितों के पक्ष में दिनांक 13.02.1979 को एक रजिस्टर्ड दानपत्र बाबत भूमि खतौनी संख्या 15/19 की भूमि ख.नं. 149, 152, 155, 157, 216 कुल किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम संवर

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

निष्पादित कर दिया और कब्जा दान ग्रहिताओं को दिनांक 13.02.1979 को ही संभला दिया, तथा अपीलांटस ने दान को उन्होने ग्रहण कर लिया है। तब से ही अपीलांटस उक्त जमीन पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांटस बिना पढ़े लिखे है न दानपत्र में समझते है और न किसी खाते की नकलों में समझते है, इसलिए तत्समय कोई कार्यवाही नहीं कर सकें। राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये, बिना पूछताछ व जांच किये एक तरफा नामान्तरकरण सभी पुत्रियों के पक्ष में खोल दिया गया, जो गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट मांगीबाई दानपत्र को लेकर तहसीलदार, तालेडा के समक्ष दिनांक 16.05.2017 को गई और दानपत्र दिखाया, वर्ष 2007 की नामान्तरकरण पंजिका दिखाई व उनके नाम विलोपित करने का आग्रह किया तो उन्होने मना कर दिया और कहा कि आपको जिलाधीश के यहां अपील करनी पड़ेगी, तब यह अपील यहां पर पेश की गई। अपीलांटा निरक्षर एवं ग्रामीण परिवेश की महिला है, फिर भी किसी कारणवश अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो न्यायहित में देरी कन्डोन फरमाये जाने बाबत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांटस ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने एवं दानपत्र के आधार पर अपीलांटस के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 3 ने बहस के दौरान तर्क पेश किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम निर्णीत किया जावे तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है वह दिनांक 20.06.2007 का है, जिसके विरूद्ध अपील पेश करते समय 10 वर्ष की अवधि गुजर चुकी थी। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 135 में पारित आदेश की अपील के लिए 30 दिन की अवधि है, किन्तु अपीलांटस द्वारा लगभग 10 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई है, जो प्रकटतः ही अवधि बाधित है। वैसे अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारंभ से ही है। क्योंकि अपीलांटस स्वयं उक्त कृषि भूमि के सहखातेदार है। सहखातेदारान् द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2007 से उक्त कृषि भूमि में से खसरा संख्या 149 का सम्पूर्ण रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा ओम प्रकाश वल्द बंशीलाल नायक निवासी कोटा को बेचान कर दिया गया था जिसका

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

नामान्तरकरण संख्या 275 दिनांक 17.02.2009 को क्रेता के पक्ष में खोला जा चुका है। अपीलांटस द्वारा अब जमीन की कीमतें बढ जाने से यह अपील मियाद बाहर तथा गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट मांगीबाई ने अपील में स्वीकार किया कि वह तहसीलदार तालेडा के समक्ष दिनांक 16.05.17 को गई तथा दानपत्र दिखाया और 2007 की नामान्तरकरण पंजिका दिखाई व उनके नाम विलोपित करने का आग्रह किया। इससे जाहिर है कि अपीलांट को पहले से ही नामान्तरकरण का पता था उस दिन तो वह दानपत्र दिखाकर उक्त नामान्तरकरण में से नाम विलोपित करवाने गई थी। इस प्रकार अपीलांटस द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है, जिसमें विलम्ब क्षमा करने का कोई समुचित कारण नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार होने योग्य नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 3 द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील अवधि बाधित होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। अभिभाषक रेस्पो.सं. 3 द्वारा आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क किया कि जमाबंदी संवत् 2001 से 2005 के अनुसार उक्त आराजी के खातेदार मोडया वल्द ईशरया कौम बलाई थे। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2028 से 2047 के अनुसार उक्त आराजी के खातेदार लोडकिया पुत्र मोडया कौम बलाई थे। नामान्तरकरण संख्या 2 ग्राम संवर के अनुसार खातेदार लोडकिया पुत्र मोडया कौम बलाई फोत हो जाने से तथा उसके कोई लडका नहीं होने से उसकी औरत गंगाबाई बेवा लोडक्या कौम बलाई के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है कि उक्त आराजी गंगाबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर पैतृक कृषि भूमि है। जिस पर खातेदार गंगाबाई के वारिसान पांचों पुत्रियों का भी जन्म से हक अधिकार प्राप्त है। इस कारण खातेदार गंगाबाई को पैतृक कृषि भूमि 13 बीघा 02 बिस्वा में से अपना हक केवल **मात्र 1/6 हिस्सा** ही दान करने का अधिकार प्राप्त था। यदि इससे ज्यादा 19 बीघा 12 बिस्वा का गंगाबाई द्वारा दान किया जाता है वह विधि विरूद्ध है। विधि विरूद्ध तैयार किये गये अवैध दस्तावेज के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अभिभाषक रेस्पो.सं.3 द्वारा अपील अपीलांट गुणावगुण पर भी सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये इसे चलने योग्य नहीं बताया है। अपील का परीक्षण

जिला कलेक्टर; बून्दी

सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.07 को पारित किया गया है जिसकी अपील दिनांक 12.06.17 को पेश की गयी है। अपीलांट मांगीबाई ने स्वयं को मृतक खातेदार गंगाबाई की पुत्री होना बताया है तथा अपील विषयक आराजी पर उसका भी कब्जा होना बताया है, इसके बावजूद अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी 10 वर्षो तक नहीं हो पाने के क्या कारण रहे है, यह प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उसके द्वारा कहीं अंकित नहीं किया गया। अपीलांट मांगीबाई दानपत्र को लेकर तहसीलदार, तालेडा के समक्ष दिनांक 16.05.17 को गई और दानपत्र दिखाया, वर्ष 2007 की नामान्तरण पंजिका दिखाई व उनके नाम विलोपित करने का आग्रह किया तो उन्होने मना कर दिया और जिलाधीश के यहां अपील करने को कहने पर यह अपील यहां पर पेश की गई। इस संबंध में रेस्पो.सं.3 को आपत्ति है कि अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। दिनांक 16.05.17 को तो मांगीबाई दानपत्र व नामान्तरण की नकल दिखाकर उसमें से रेस्पो. के नाम विलोपित करवाने की कार्यवाही हेतु तहसील तालेडा में गई थी। दिनांक 31.05.17 नामा0 की नकल प्राप्त होना बताया है, फिर भी दिनांक 12.06.17 को बिना कारण बताये विलम्ब से अपील पेश की गई। अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि इसमें अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई विश्वसनीय कारण अंकित नहीं किया है और **न ही अपने कथन के समर्थन में अपीलांटस की ओर से शपथ पत्र पेश किया है**। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण अपीलांटस पेश करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। ऐसे में विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटस मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर: बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2019.12.13 10:59:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: